प्रेस नोट -थाना परशुरामपुरी
जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक –10/09/26

थाना परशुरामपुरी पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग में प्रकाश में आये 03 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदया के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत क्षेत्राधिकारी परशुरामपुरी के निकट पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना परशुरामपुरी के कुशल नेतृत्व में थाना परशुरामपुरी पुलिस टीम को बडी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 06.09.2026 को वादी सुन्दरम क्षत्रिय पुत्र राजेश क्षत्रिय नि0मो0 कानून गोयान कस्बा व थाना परशुरामपुरी, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा एक तहरीर बाबत दिनांक 04.09.2026 को 04 सिपाहियों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वादी को सरैया मोड थाना क्षेत्र परशुरामपुरी से चौकी बिरियागंज थाना तिलहर ले जाकर वादी को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर वादी व वादी के परिजनों से उत्कोच की मांग करने के सम्बन्ध में दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 430/2026 धारा 308(7)/127(7)/351(3) बीएनएस व 7/13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधि0 बनाम 04 सिपाही व अन्य स्थानीय अज्ञात व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया।

विवेचना के क्रम में यह तथ्य सामने आया कि घटना से पूर्व अनमोल पुत्र रामकिशन तथा एक अन्य वाछिंत अभियुक्त द्वारा वादी के संबंध में सूचना उपलब्ध कराये जाने तथा पुलिसकर्मी से संपर्क किये जाने की बात प्रकाश में आयी। इसके पश्चात दोनों अभियुक्तों के मित्र आयुष पाण्डे ने अपना मोबाइल व कुछ धनराशि अपने मित्र सचिन राठौर को दी और वादी को फोन कराया चूंकि तीनों अभियुक्तगण की आवाज वादी सुन्दरम पहचानता था इसलिए दूसरे मोहल्ले के सचिन को इस कार्य के लिए बुलाया गया था। आयुष पाण्डे के कहने पर सचिन राठौर ने वादी को फोन करके दस हजार रुपये का सामान खरीदने की बात की थी। अनमोल व अन्य अभियुक्तगण ने वादी को माल लेकर सरैया मोड बुलाया था उस समय अनमोल और अन्य वांछित व पुलिसकर्मी के साथ आड में खडे थे, दूसरी तरफ आयुष पाण्डे व सचिन राठौर सरैया मोड की तरफ आड में खडे हो गये थे।वादी जब अपनी मोटर साइकिल से सरैया मोड जलालाबाद पहुँचा तब अनमोल ने पुलिसकर्मियों को दूर से ही उसकी पहचान बता दी तथा पुलिसकर्मी वादी को सरैया मोड से पकडकर अपने साथ बिरियागंज चौकी थाना तिलहर ले गये थे। चौकी ले जाकर वादी ने उसके माता-पिता से पैसे लेकर आने के सम्बंध मे फोन से बात कराई थी। उसी रात में ही वादी के पिता भाई व एक अन्य वाछिंत अभियुक्त चौकी बिरियागंज, थाना तिलहर पैसे लेकर पहुँच गए थे।वही पर उस एक अन्य वाछिंत अभियुक्त ने वादी के परिजनों का पुलिसकर्मियो से रुपये का सौदा कराया था। वादी को उसके परिजनों के साथ चौकी से छोडने के बाद पुलिसकर्मियो ने चारो सहअभियुक्तों का हिस्सा एक अन्य वाछिंत अभियुक्त को दे दिया था। उक्त तथ्यों, साक्ष्य व विवेचना के क्रम में प्रकाश मे आये अभियुक्तगण 1.अनमोल पुत्र रामकिशन 2.आयुष पाण्डे पुत्र राकेश पाण्डे निवासीगण मो0 सुभाष नगर, थाना परशुरामपुरी, जनपद शाहजहाँपुर 3. सचिन कुमार राठौर पुत्र राजवीर राठौर, नि0 ग्राम सदुल्लागंज, थाना परशुरामपुरी, जनपद शाहजहाँपुर व एक अन्य का आपराधिक षडयंत्र मे शामिल होना पाया गया है। जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3(5) ,317(2) बीएनएस. व 7A/12 भ्रष्टाचार निवारण अधि0 की वृद्धि कर उपरोक्त अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया ।गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

अनमोल पुत्र रामकिशन, नि0मो0 सुभाष नगर, थाना परशुरामपुरी, जनपद शाहजहाँपुर।

आयुष पाण्डे पुत्र राकेश पाण्डे, नि0मो0 सुभाष नगर, थाना परशुरामपुरी, जनपद शाहजहाँपुर।

सचिन कुमार राठौर पुत्र राजवीर राठौर, नि0 ग्राम सदुल्लागंज, थाना परशुरामपुरी, जनपद शाहजहाँपुर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 430/2026 धारा 308(7)/127(7)/351(3), 3(5),317(2) बीएनएस व 7/13(2), 7A/12 भ्रष्टाचार निवारण अधि0, थाना परशुरामपुरी, जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी का विवरण

1.अभियुक्त अनमोल के कब्जे से ₹4,600/- नगद व 01 की-पैड मोबाइल फोन।

2. सचिन कुमार राठौर के कब्जे से 5000/रुपये नगद व 01 एण्ड्रायड मोबाइल फोन

3. आयुष पाण्डे के कब्जे से 4400 /रुपये नगद व 01 एण्ड्रायड मोबाइल फोन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

व0उ0नि0 श्री सकतावत सिंह

उ0नि0 श्री पवन कुमार

का0 आशीष

का0 संजय भाटी

का0 रोहन तोमर